न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 94/2025
ऑनलाईन नम्बर 2025/191

निर्णय दिनांक

गंगाराम उम्र 58 वर्ष पुत्र उमाराम जाति जाट निवासी शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

बनाम —वादी—

1. हरिराम दत्तक पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
2. तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़
3. शाखा प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा शेरूणा।

—प्रतिवादीगण—

—उपस्थितिः—

1. श्री बाबूलाल सारस्वत अभिभाषक वादी।
2. श्री नारायण पंवार अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।
4. अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही।

वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 भू—राजस्व अधिनियम

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी का दावा निम्न आधारो पर प्रस्तुत हैं कि वादी के संयुक्त खातेदारी के खेत खाता संख्या 181 खसरा नम्बर 744 तादादी 5.9300 हैक्टेयर (बारानी 5.7200 हैक्टेयर व गै.मु.रास्ता 0.2100 हैक्टेयर) व खसरा नम्बर 801 तादादी 7.9400 हैक्टेयर बारानी वाके रोही ग्राम शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। उपरोक्त वादगत खेतो में वादी का 1/20 हिस्सा स्थित हैं वादी का वादगत खेतो में 1/20 हिस्सा की भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। उपरोक्त वादगत खेतो में वादी के हिस्से की भूमि वादी को पैतृक विरासतन प्राप्त हुई हैं। वादी अपने वादगत खेतो की भूमि में ट्यूबवैल निर्माण करवाना चाहता हैं इसलिये वादी ने माह मई 2025 में हल्का पटवारी शेरूणा से वादगत खेत के राजस्व रिकॉर्ड की नकल निकलवाने के लिये सम्पर्क किया तो हल्का पटवारी ने कहा कि आपके नाम से वादगत खेत नही हैं। वादगत खेत हरिराम दत्तक पुत्र गंगाराम के नाम दर्ज हो चुके हैं तब वादी ने दिनांक 23.05.2025 को वादगत खेतो के राजस्व रिकॉर्ड की नकल प्राप्त की तो वादी को ज्ञात हुआ की वादगत खेत में वादी के हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम जरिये इंतकाल संख्या 1742 के द्वारा दर्ज हो गई हैं जो गलत दर्ज हुई है। गांव शेरूणा में गंगाराम पुत्र उमाराम जाति जाट नाम के दो व्यक्ति हैं। गंगाराम पुत्र उमाराम जाति जाट नाम का एक व्यक्ति वादी हैं व वादी की जाति जाट (भादू) हैं व गंगाराम पुत्र उमाराम जाति जाट नाम का दूसरा व्यक्ति गंगाराम पुत्र उमाराम जाति जाट (गोदारा) हैं उक्त गंगाराम पुत्र उमाराम जाति जाट गोदारा का देहान्त दिनांक 02.02.2020 को हो चुका हैं। उक्त गंगाराम पुत्र उमाराम जाति जाट (गोदारा) ने अपने जीवनकाल में प्रतिवादी संख्या 1 को गोद लिया था। प्रतिवादी संख्या 1 गंगाराम पुत्र उमाराम जाति जाट (गोदारा) का दत्तक पुत्र हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ने गंगाराम पुत्र उमाराम जाति जाट (गोदारा) के देहान्त होने के बाद दिनांक 20.02.2020 को गंगाराम पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उमाराम जाति जाट (गोदारा) के खातेदारी खेतो का गोदपत्र रजिस्टर्ड दिनांक 09.04.2010 के आधार पर अपने नाम इंतकाल दर्ज करवाने हेतू तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ द्वारा हल्का पटवारी शेरूणा को नियमानुसार जांच कर नामान्तरण की कार्यवाही करने का आदेश दिनांक 20.02.2020 को दिया। हल्का पटवारी शेरूणा ने स्व. गंगाराम पुत्र उमाराम जाति जाट (गोदारा) के खातेदारी खेतो का दिनांक 21.05.2020 को इंतकाल संख्या 1742 दर्ज करने के साथ–साथ वादी के वादगत खेतो का भी इंतकाल संख्या 1742 में ही दर्ज कर दिया जो वादी के वादगत खातेदारी खेतो के सम्बन्ध में इंतकाल संख्या 1742 गलत दर्ज कर दिया। हल्का पटवारी द्वारा दर्ज इंतकाल के अनुसार ही हल्का गिरदावर द्वारा बिना कोई जांच किये "मिलान किया अंकन सही हैं" का नोट लगा दिया । हल्का गिरदावर की रिपोर्ट के आधार पर सरपंच ग्राम पंचायत शेरूणा ने बिना किसी जांच पड़ताल के इंतकाल संख्या 1742 हुबहु स्वीकृत कर दिया । इंतकाल संख्या 1742 रोही शेरूणा स्वीकृत होने के बाद वादी के वादगत खेतो में वादी के हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गयी जो गलत दर्ज हुई हैं। वादगत खेत में वादी के हिस्से की भूमि वादी के ही नाम दर्ज रहनी चाहिये थी । चुंकि वादगत खेतो में वादी के हिस्से की भूमि पर वादी का ही कब्जा काश्त हैं व वादी ने ही वादगत खेतो में अपने हिस्से की भूमि पर बैंक के यहा रहन रखकर ऋण ले रखा हैं व वादी के जिन्दा रहते हुवे वादगत खेतो में वादी के हिस्से की भूमि अन्य किसी के नाम दर्ज नही हो सकती। राजस्व कर्मचारियो द्वारा भूलवंश वादगत खेतो में वादी के हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में इंतकाल संख्या 1742 में दर्ज कर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दी हैं जो गलत दर्ज की गई हैं। वादी दिनांक 25.05.2025 को प्रतिवादी संख्या 1 से मिला व इंतकाल संख्या 1742 रोही शेरूणा में हुई गलती के बारे में बताया व वादी के वादगत खेतो में वादी के हिस्से की भूमि वादी के नाम पुनः दर्ज करवाने के लिये निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 ने कहा की तुम्हारे वादगत खेतो में तुम्हारे हिस्से की भूमि मेरे नाम हो चुकी हैं अब मैं वादगत खेतो में तुम्हारे हिस्से की भूमि पर कब्जा करूंगा व शीघ्र ही बेचूंगा। मैं वादगत खेतो में तुम्हारे हिस्से की भूमि तुम्हारे नाम नही करवाऊंगा। तुमसे जो होता हो वो कर लो। यही दावे का हेतू हैं। दावे का आधार वादी का वादगत खेतो पर कब्जा काश्त होने व वादी का वादगत खेतो में पैतृक हिस्सा होने से प्राप्त हैं। वादी के पास वादगत खेतो में वादी के हिस्से की भूमि वादी के नाम दर्ज करवाने के लिये घोषणा की डिक्री प्राप्त करने के अलावा अन्य कोई चारा नही है। वादी के पास वादगत खेतो में वादी के हिस्से की भूमि की सीमा तक इंतकाल संख्या 1742 रोही शेरूणा को शून्य व निरस्त घोषित करने के लिये दावा पेश करने के अलावा अन्य कोई चारा नही हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादगत खेतो मे वादी के हिस्से की भूमि पर कब्जा करने व विक्रय करने की धमकी दी हैं। ऐसी स्थिती में वादी के पास प्रतिवादीगण के विरूद्ध चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अलावा अन्य कोई चारा नही हैं। वादगत खेतो के राजस्व रिकॉर्ड का संधारण तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ द्वारा किया जाता हैं इसलिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ को पक्षकार बनाया गया वादगत खेतो के राजस्व रिकॉर्ड को सही करने का कार्य तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ द्वारा ही किया जाना हैं। वादी को अपने वादगत खेतो में अपने हिस्से की कृषि भूमि पर कृषि ट्यूबवैल का तुरन्त निर्माण करवाना हैं। इसलिये दावा तुरन्त पेश

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

किया जाना आवश्यक हैं तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ के विरूद्ध दावा पेश करने के लिये धारा 80 सी पी सी का नोटिस दिया जाना आवश्यक हैं नोटिस मे समय लगेगा जिससे वादी को भारी आर्थिक नुकसान होगा इसलिये दावा तुरन्त पेश किया जाना आवश्यक हैं। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ का प्रत्यक्ष रूप से कोई हित प्रभावित नही हो रहा हैं फिर भी कानूनी प्रावधानो के मध्यनजर रखते हुये धारा 80 सी पी सी के तहत छूट का प्रार्थना पत्र दावा के साथ में प्रस्तुत है। ऐसी स्थिति मे धारा 80 सी पी सी के नोटिस के अभाव में दावा पेश करने के लिये धारा 80 (2) सी पी सी का प्रार्थना पत्र पेश कर दावा प्रस्तुत करने कि अनुमति प्राप्त कर ली गयी हैं। वादी ने प्रतिवादी संख्या 3 के यहां वादगत खेत में वादी के हिस्से की भूमि को रहन रखकर ऋण ले रखा हैं। इसलिये प्रतिवादी संख्या 3 को पक्षकार बनाया गया हैं। वादगत खेत रोही शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ मे स्थित है इसलिये यह दावा श्रीमान्जी के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का हैं जो पूर्ण कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश हैं। अतः दावा पेश कर निवेदन हैं कि वादी का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे–

(क) यह घोषित किया जावे कि वादी वादगत खेत खसरा नम्बर 744 तादादी 5.9300 हैक्टेयर (बारानी 5.7200 हैक्टेयर व गै. मु. रास्ता 0.2100 हैक्टेयर) व खसरा नम्बर 801 तादादी 7.9400 हैक्टेयर रोही शेरूणा की कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर वादी 1/20 हिस्सा भूमि का खातेदार काबिज कृषक हैं तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

(ख) यह कि इंतकाल संख्या 1742 रोही शेरूणा को वागदत खेत खसरा नम्बर 744 तादादी 5.9300 हैक्टेयर (बारानी 5.7200 हैक्टेयर व गै.मु. रास्ता 0.2100 हैक्टेयर) व खसरा नम्बर 801 तादादी 7.9400 हैक्टेयर रोही शेरूणा की सीमा तक शून्य एवं निरस्त घोषित किया जावे।

(ग) यह कि चिर निषेधाज्ञा की डिक्री वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी की जावे कि प्रतिवादीगण वादगत खेत खसरा नम्बर 744 तादादी 5.9300 हैक्टेयर (बारानी 5.7200 हैक्टेयर व गै. मु. रास्ता 0.2100 हैक्टेयर) व खसरा नम्बर 801 तादादी 7.9400 हैक्टेयर रोही शेरूणा में वादी के हिस्से की भूमि पर वादी को कब्जा काश्त से बेदखल नही करे। ऐसा कोई कृत्य या अपकृत्य नही करे जिससे वादी के वैध अधिकारो पर विपरीत असर पड़ता हो ।

(घ) यह कि खर्चा दावा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे ।

(ड़) यह कि अन्य कोई अनुतोष जो हितकर वादी हो प्रतिवादीगण से दिलाया जावे ।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर इकबाल जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध सम्मन तामिल उपरान्त हाजिर नहीं होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। स्टेट की ओर से पैरोकारराज द्वारा जवाबदावा पेश किया गया। वाद में विवाद्यक बिन्दु नहीं होने के कारण तनकीहात कायम नहीं की गई। वादी की ओर से साक्ष्यवादी PW-1 में स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया। वादी के बयान लेखबद्ध किये गये व वादी द्वारा दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। जिरह प्रतिवादीगण शून्य। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट एवं प्रतिवादी संख्या 1 को वादी वाद

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होने व वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 744 तादादी 5.9300 हैक्टेयर (बारानी 5.7200 हैक्टेयर व गै. मु. रास्ता 0.2100 हैक्टेयर) व खसरा नम्बर 801 तादादी 7.9400 हैक्टेयर रोही शेरूणा के राजस्व रिकार्ड में दर्ज "हरिराम दत्तक पुत्र गंगाराम" के स्थान पर "गंगाराम पुत्र उमाराम" को 1/20 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। रहन यथावत रहेगा। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)